



F-42(504)/NHM/HWC/CHO/2022-23/ 173

दिनांक:- 28/06/22


आदेश

आदेश क्रमांक 1036 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा BPCHHN सीएचओ अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में निर्धारित उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गये है। इन अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र पर शेष रहे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया जाना है।

इस हेतु निम्न सीएचओ अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 3 दिवस में अपने सभी मूल दस्तावेज व उनकी स्वयं सत्यापित छायाप्रति के साथ आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र.सं.	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	आवंटित संस्थान	अभ्यर्थियों द्वारा RUHS को दी जानेवाली फीस
1	632845	मनाहेर लाल सैनी	GNMTC, Jaipur	3000
2	641902	रेनु	RUHS, Jaipur	3000
3	613445	शोभा खटकड़	RUHS, Jaipur	3000
4	610030	अमन कुमार वर्मा	GNMTC, Jaipur	3000
5	601315	रामराय गुर्जर	GNMTC, Jaipur	3000
6	505233	बिन्दु कुमारी मीणा	GNMTC, Udaipur	3000
7	500826	जीगर दोसी	GNMTC, Udaipur	3000
8	614151	सीमा	GNMTC, Bharatpur	3000
9	108583	डॉ. भावना राजपुरोहित	GNMTC, Jodhpur	3000

उक्त अभ्यर्थियों को शेष रहे प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी तथा अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को उक्त निर्धारित फीस जमा करवानी होगी।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क०
दिनांक:-

F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2022-23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० सरकार।

4. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में भरवाये गये बॉण्ड एवं मूल दस्तावेज सम्बन्धित अभ्यर्थियों से प्राप्त कर जमा करना एवं निर्धारित फीस का RUHS के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट ले कर RUHS को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. रजिस्ट्रार, आरयूएचएस, जयपुर।
6. पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज एवं भरवाये गये बॉण्ड को सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिलें।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पालनार्थ।
9. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० महेश सचदेवा)
राज्य नोडल अधिकारी
H&WC